(ग) इन अनियमितताओं के संबंध में गत वर्ष कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाले हिदायतों का पालन करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण देने से संबंधित अनुदेश भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को, अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने का आदेश दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपयुक्त बैंक योजनायें तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किये जायें। तदनुसार वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा स्पांसर किये गये कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाये गये लाभार्थी अपने आर्थिक उन्नयन के लिए तैयार की गई अर्थक्षम योजनाओं को शुरू कर सकें। उपर्युक्त के अलावा बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने के तौर पर उनकी मदद करने के लिए स्वयं भी योजनायें तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण-सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर कोई कमी ध्यान में आती है तो उसे दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

गुजरात में मार्च, 1990, 1991 के अंत तक की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई बकाया रकमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

खातों की संख्या लाख में

रकम करोड़ रूपये में

निम्नलिखित के अन्त तक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनु०जाति/अनु० जनजाति	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
मार्च, 1990	16.05	2431	11.27	428	4.64	146
मार्च, 1991	15.91	2543	10.54	429	4.55	149

बैंकों द्वारा ऋण आवेदन सीधे ही आवेदकों अथवा किसी राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और तदनुसार मंजूर किये जाते हैं। बैंकों द्वारा, जानबूझकर लापरवाही करने वाले हिदायतों का अनुपालन न करने वाले तथा किसी कदाचार में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैंकों की सूचना प्रणाली से उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती जिनके विरुद्ध आरोपों को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कार्रवाई को गई है अथवा अपेक्षित है।

राष्ट्रीय आवास बैंकों की पुनर्वित्त सुविधायें

929. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक

ने राज्य ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा संवितरित पात्र ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने 1989 से एक योजना शुरू की है जिसके तहत अन्यों के साथ साथ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तथा साथ ही राज्य स्तरीय सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये पुनर्वित्त योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से संवितरित पात्र आवास ऋणों के लिये प्रयोजक वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । 29-1-1993 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में किये गये अंशदान सहित पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं को किये गये संचयी संवितरण की रकम 1444.37 करोड़ रुपये थी । इस रकम में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अपने पात्र आवास ऋणों के संबंध में जारी किये गये विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों की अंशदान की 175.72 करोड़ रुपये की रकम शामिल है ।

Transfer of funds into investment Account by SBI, Bombay

930. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Bank of India, Bombay did not transfer the funds received on account of EPF, Family Pension Fund and EDLIF to Reserve Bank of India in "Investment Account" daily during the years 1989-90 and 1990-91;

(b) whether it is also a fact that Reserve Bank of India did not make investment from out of these deposits in securities in accordance with the approved pattern during the period from 1985-86 to 1989-90 which deprived the State Governments of financial assistance;

(c) if so, what is the amount of loss of interest and amount by which the State Governments were deprived; and

(d) what action has been taken by Government against the officers responsible for such loss?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Permission to bring more gold to NRIs

931. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of FINANCE be pleasde to state:

(a) whether Government intend to increase the quantity of gold which could be brought into India by NRIs;

(b) whether the duty levied on gold brought by tourist is to be reduced further; and

(c) if so, what is the percentage thereof?